

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.  
नम्बर:-240/2018 प्रार्थना पत्र  
सिंह पिता गणपतसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रार्थी

बनाम

नरयाम पिता चावण्डसिंह राजपूत उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
नसिंह पिता चावण्ड सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
जतरंगसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
गवतसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
हलाद सिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
गलसिंह पिता जसवंतसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
न्द्रसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
क्तिसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
मसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
दलपतसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
जूसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
रणसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
ब कंवर पत्नि भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
कंवर पत्नि नारायण सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा  
र.जी.बी. बैंक शाखा कारोई कला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आंबाखेड़ी पटवार लोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 324, 325, 328, 329, 330, 331 कुल कितना 7 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.9.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 15 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त से शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 व 9 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 8 की ओर से अधिकार पत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, एडवोकेट ने दिनांक 29.10.2018 को प्रस्तुत से शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 7 व 9 व 16 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 व 9 व 16 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं के कारण दिनांक 9.1.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 8 व 10 को कितने ही अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये कारण दिनांक 13.3.2019 को जवाब बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा  
नी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे  
की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते  
मा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे  
की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में  
ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः  
:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के  
अनुसार किया जाकर ग्राम आंबाखेड़ी पटवार हल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित  
प्लॉट नम्बर 324, 325, 328, 329, 330, 333, 334 कुल कित्ता 7 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि  
की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के  
लिये भेलेख निरीक्षक, कारोईकंला को 2400/-रुपये (दो हजार चार सौ रुपये) कमिश्नर फीस  
पर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा  
कराने की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये  
भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

(टीना डाबी)

आई.एस.  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा